राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 574/2012/कोटा

मैसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
बसंत विहार, कोटा। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक
श्री एम.एम.शर्मा ....अपीलार्थी की ओर से.
अभिभाषकगण

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.09.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर कैम्प कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 118/वेट/10–11/कोटा में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 11.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02.2011 के जरिये संविदा कार्य Modification and Construction of Main Plant Boundry Wall between RAPP 5, 6, 7 & 8 संविदा राशि रूपये 16,67,409/–का प्राप्त किया जाकर प्रारूप WT-1 में मुक्ति शुल्क हेतु आवेदन किया, जिसमें मुक्ति शुल्क 1.50 प्रतिशत से निर्धारित किये जाने का निवेदन किया गया। जिसको अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2.25 प्रतिशत निर्धारण को कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी ठेकेदार ने न्यूक्लियर पावर कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, कोटा अणुशक्ति के कार्यादेश क्रमांक 78015 दिनांक 11.01.2011 से 16,67,409/– रूपये का Modification and Construction of Main Plant Boundry Wall between RAPP 5, 6, 7 & 8 का

लगातार.................2

कार्यादेश प्राप्त किया और प्रारूप WT-1 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 1.50 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। सशक्त अधिकारी ने कार्य की प्रकृति के अनुसार यह माना कि यह कार्य Relating to plant and machinery से संबंधित है, न कि Relating to Buildings, Road, canals, Dams, Bridges, Sewarage System से संबंधित। इसलिये उन्होंने 1.50 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी ने बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया है जो कार्य भवन से संबंधित है, जिस पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 1.50 प्रतिशत से ही मुक्ति शुल्क आरोपित किया जाना चाहिये। लेकिन सशक्त अधिकारी ने इस कार्य को प्लान्ट से संबंधित कार्य मानते हुए 2.25 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किया है, जो न्यायोचित एवं विधि संगत नहीं है। अतः अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया गया। व्यवहारी ठेकेदार ने न्यूक्लियर पावर कोर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 अणुशक्ति के कार्यादेश क्रमांक 78015 दिनांक 11.01.2011 से 16,67,409/— रूपये का Modification and Construction of Main Plant Boundry Wall between RAPP 5, 6, 7 & 8 का कार्यादेश प्राप्त किया और प्रारूप WT-1 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के अनुसार 1.50 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 11.01.2012 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को ईसी फीस 1.50 प्रतिशत दर से देयता निर्धारित की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष